भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1196

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

अवैध विद्युत कनेक्शनों की समस्या

1196. श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री श्रीरंग अप्पा बारणे:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पूरे देश में अवैध विद्युत कनेक्शनों और बिजली चोरी की अनवरत समस्या की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिजली की चोरी का विद्युत क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान अवैध कनेक्शनों और बिजली की चोरी के अन्य मामलों के कारण हुई तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तावित दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में बिजली की चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार का राज्यों के परामर्श से देश में बिजली की चोरी रोकने के लिए कोई योजना तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : अवैध विद्युत कनेक्शनों और विद्युत की चोरी विद्युत की खराब गुणवत्ता जैसे परिणामी प्रभावों से वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है। सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि डिस्कॉमों के निष्पादन के प्रमुख संकेतकों में से एक है, जिसमें विद्युत चोरी का प्रभाव भी शामिल है। विद्युत चोरी रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करना संबंधित वितरण यूटिलिटियों की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। तथापि, भारत सरकार समय-समय पर शुरू की गई विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराकर राज्यों/वितरण यूटिलिटियों के प्रयासों का अनुपूरण करती है। एटीएंडसी हानियों को कम करने और विद्युत

वितरण प्रणाली में सुधार के लिए, भारत सरकार ने संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। इस स्कीम का लक्ष्य, अखिल भारतीय आधार पर, एटीएंडसी हानियों को वर्ष 2024-25 तक 12-15% की श्रेणी तक कम करना है।

(ग) : अवैध कनेक्शन और विद्युत की चोरी विद्युत वितरण यूटिलिटियों की एटी एंड सी हानियां होने के कई कारणों में से एक है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) द्वारा प्रकाशित 'पावर यूटिलिटीज के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट' के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2020-22 के दौरान, विभिन्न कारकों के कारण देश में हुई कुल एटीएंडसी हानियां नीचे दी गई हैं:

राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22 (अनंतिम)**
एटी एंड सी हानियां (%)	21.64	20.73	22.32	16.68

एटीएंडसी हानियों के राज्य-वार तथा यूटिलिटी-वार आंकड़े **अनुबंध** में दिए गए है।

(घ), (ङ) और (च) : भारत सरकार द्वारा विद्युत की चोरी को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. विद्युत अधिनियम 2003 में विद्युत के अनधिकृत उपयोग और चोरी से संबंधित विशिष्ट प्रावधान(धारा 126 और धारा 135 से 140) हैं, जिसमें ऐसे अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों द्वारा कड़े दंडात्मक प्रावधान और त्वरित सुनवाई के लिए प्रावधान (विद्युत अधिनियम 2003 का भाग XV) शामिल है।

ii. आरडीएसएस के अंतर्गत, मार्च, 2025 तक 25 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने और संचार सुविधाओं के साथ सिस्टम मीटरिंग के लिए पात्र डिस्कॉमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत, चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए स्मार्ट मीटर के माध्यम से उत्पन्न आंकड़ों का विश्लेषण करने और प्रणाली से उत्पन्न ऊर्जा लेखाकंन रिपोर्टों से कार्रवाई योग्य एमआईएस तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) जैसी उन्नत आईसीटी का लाभ उठाया जाएगा ताकि डिस्कॉमों को हानि में कमी के साथ-साथ विद्युत चोरी के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

iii. साथ ही, स्कीम के अंतर्गत, एबीसी केबल/यूजी केबल/एचवीडीएस आदि के उपयोग से हानियों और विद्युत चोरी को कम करने के उपायों सहित वितरण अवसंरचना के उन्नयन के लिए पात्र डिस्कॉमों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इससे विद्युत की चोरी सहित वितरण यूटिलिटियों की हानियों को कम करने में मदद मिलेगी।

iv. विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी फीडर वार कटौती आंकड़े, कटौतियों को कम करने के लिए किए गए प्रयासों, विद्युत की चोरी अथवा अनाधिकृत उपयोग अथवा इसमें छेड़छाड़, विद्युत संयंत्र, विद्युत लाइनों अथवा मीटर को संकट या क्षतिग्रस्त होने से रोकने और वर्ष के दौरान प्राप्त परिणामों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का प्रबंध करेगा।

v. टैरिफ नीति, 2016 में यह परिकल्पना की गई है कि विद्युत की चोरी को कम करने के लिए, वितरण कंपनियों के पास वितरण प्रबंधन प्रणाली और ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रकार्यों के साथ वितरण स्काडा जैसी सक्षम सुविधा होनी चाहिए।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 09.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1196 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एटी एंड सी हानियों के राज्य-वार और यूटिलिटी-वार ब्यौरे

	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	**23.43**	**23.34**	**51.94**
आंध्र प्रदेश	**25.67**	**10.77**	**27.25**
अरुणाचल प्रदेश	**52.53**	**40.49**	**44.87**
असम	**20.19**	**23.39**	**18.73**
बिहार	**33.30**	**39.95**	**35.33**
चंडीगढ़	**13.50**	**15.86**	**11.89**
छत्तीसगढ़	**24.96**	**18.46**	**20.40**
दादरा एवं नगर हवेली	**5.45**	**3.56**	**5.17**
दमन एवं दीव	**6.19**	**4.07**	**4.48**
गोवा	**17.61**	**11.41**	**12.94**
गुजरात	**14.05**	**11.79**	**11.91**
हरियाणा	**18.08**	**18.26**	**17.05**
हिमाचल प्रदेश	**12.46**	**13.33**	**14.02**
जम्मू एवं कश्मीर	**49.94**	**60.46**	**59.28**
झारखंड	**28.33**	**37.13**	**41.36**
कर्नाटक	**19.82**	**17.58**	**15.36**
केरल	**9.10**	**13.12**	**7.76**
लक्षद्वीप	**26.82**	**13.69**	**11.63**
मध्य प्रदेश	**36.63**	**30.38**	**41.47**
महाराष्ट्र	**15.80**	**19.24**	**26.55**
मणिपुर	**25.26**	**23.30**	**20.33**
मेघालय	**35.22**	**31.67**	**30.88**
मिजोरम	**16.20**	**20.66**	**36.53**
नागालैंड	**65.73**	**64.79**	**60.39**
ओडिशा	**31.55**	**28.94**	**29.32**
पुद्दुचेरी	**19.77**	**18.45**	**19.92**
पंजाब	**11.28**	**14.35**	**18.03**
राजस्थान	**28.25**	**29.86**	**26.23**
सिक्किम	**41.83**	**28.77**	**29.37**
तमिलनाडु	**17.86**	**15.00**	**13.81**
तेलंगाना	**18.41**	**21.92**	**13.33**
त्रिपुरा	**38.03**	**35.71**	**37.36**
उत्तर प्रदेश	**33.19**	**30.05**	**27.45**
उत्तराखंड	**17.45**	**20.35**	**15.39**
पश्चिम बंगाल	**23.00**	**20.40**	**21.35**
राज्य क्षेत्र	**22.44**	**21.50**	**23.01**
दिल्ली	**9.12**	**8.26**	**8.87**
बीआरपीएल	9.04	8.33	9.70
बीवाईपीएल	10.76	8.54	9.41
टीपीडीडीएल	7.99	7.96	7.39
गुजरात	**5.20**	**4.59**	**6.46**
टोरेंट पावर अहमदाबाद	5.81	5.07	6.76
टोरेंट पावर सूरत	3.71	3.43	5.66
महाराष्ट्र	**8.11**	**9.06**	**8.85**
एईएमएल	8.11	9.06	8.85
उत्तर प्रदेश	**9.36**	**9.73**	**9.77**
एनपीसीएल	9.36	9.73	9.77
पश्चिम बंगाल	**9.23**	**9.25**	**13.17**
सीईएससी	9.73	9.52	14.04
आईपीसीएल	2.68	5.87	3.52
निजी क्षेत्र	**8.29**	**7.95**	**9.27**
कुल जोड़	**21.64**	**20.73**	**22.32**

****